# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
## दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 72 दि. 12/03/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/15
दिनांक 06.02.2026

आवेदक

श्री प्रतीक गोस्वामी, पिता श्री सोमदास गोस्वामी
पता – एफ–54, ग्रीन अर्थ सिटी, अमलेश्वर
बी.पी. नं. **1010029810**

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता, संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि., पाटन।

अनावेदकगण

सहायक अभियंता, उपसंभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि., अमलेश्वर।

विषय :– गलत विद्युत बिल जारी होने के संबंध में।

**आदेश**

( आज दिनांक 12.03.2026 को पारित किया गया )

### 1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह अभिकथन किया गया कि मोर बिजली ऐप में ₹650/– का बिजली बिल प्रदर्शित हो रहा है, जबकि मीटर रीडर द्वारा स्थल पर प्रदान किए गए स्पॉट बिल में ₹500/– की राशि अंकित थी। इस प्रकार दो अलग–अलग राशि प्रदर्शित होने से उपभोक्ता भ्रमित हुआ तथा उसने सही बिल जारी करने एवं ₹150/– की अतिरिक्त राशि वापस दिलाए जाने की प्रार्थना की।

फोरम द्वारा शिकायत को प्रकरण क्रमांक 15/2025 के रूप में पंजीबद्ध कर दिनांक 06.02.2026 को प्रथम सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान अनावेदकों ने लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिनांक 14.01.2026 को मीटर रीडर द्वारा पूर्व वाचन 832 एवं वर्तमान (हिस्ट्री) वाचन 979 के आधार पर 147 यूनिट का ₹500/– का स्पॉट बिल जारी किया गया था। किन्तु नेटवर्क संबंधी तकनीकी समस्या के कारण उक्त रीडिंग का डाटा सर्वर पर अपलोड नहीं हो सका, फलस्वरूप SAP प्रणाली में बिल इनवॉइसिंग नहीं हो पाई। तत्पश्चात नियमित बिल निर्माण के समय वर्तमान वाचन 1033 के आधार पर 201 यूनिट का ₹650/– का बिल जनरेट हुआ।

अनावेदकों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 05.02.2026 को उपभोक्ता के परिसर में मीटर की पुनः जांच की गई, जिसमें वर्तमान वाचन 1139 पाया गया। जांच के दौरान उपभोक्ता को तकनीकी कारणों से उत्पन्न स्थिति एवं बिल में अंतर का कारण विस्तार से समझाया गया, जिससे उपभोक्ता संतुष्ट हो गया।

फोरम के समक्ष उपभोक्ता द्वारा दिनांक 23.02.2026 को प्रस्तुत संतुष्टि पत्र का अवलोकन किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिल संबंधी स्थिति समझाए जाने के पश्चात वह पूर्णतः संतुष्ट है तथा उसकी शिकायत का निराकरण हो गया है।

## 2. फोरम के निष्कर्ष

फोरम ने अभिलेखों, प्रस्तुत दस्तावेजों, अनावेदकों के उत्तर तथा उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत संतुष्टि पत्र का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि बिल राशि में अंतर किसी दुर्भावना अथवा त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण नहीं, बल्कि नेटवर्क संबंधी तकनीकी समस्या के कारण स्पॉट बिल का डाटा समय पर अपलोड न हो पाने से उत्पन्न हुआ। मीटर रीडिंग की जांच एवं उपभोक्ता को स्थिति समझाए जाने के पश्चात उपभोक्ता स्वयं संतुष्ट होकर शिकायत वापस लेने के समान संतुष्टि पत्र प्रस्तुत कर चुका है।

अतः वर्तमान प्रकरण में फोरम के समक्ष किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रह गया है तथा ₹150/– की वापसी हेतु कोई आधार भी अभिलेखों से स्थापित नहीं होता।

## 3. आदेश

1. उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत संतुष्टि पत्र के आधार पर यह प्रकरण निराकृत किया जाता है।

2. प्रकरण में अनावेदकों के विरुद्ध किसी प्रकार की अतिरिक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

4. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

5. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग